

## फार्म - सैतीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-52(1) देखें]

स्वयं उपस्थित होने तथा / अथवा लेख-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आह्वान पत्र (सम्पन)

सेवा में,

श्री-----

-----

-----

क्योंकि निम्न लेख पत्रों की आवश्यकता है,

-----  
-----  
-----

(यहां लेख पत्रों का समुचित विवरण दीजिए, जिससे उनका यथेष्ट रूप से परिचय हो सके)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अधीन-----

-----विषयक (यहां जांच का विषय संक्षेप में लिखें) एक जांच के संबंध में, जो आजकल मेरे समक्ष विचाराधीन है  
साक्ष्य (शहादत) के लिए या / एवं उपर्युक्त लेख पत्रों को प्रस्तुत करने या करवाने की, आवश्यकता है, अतः आपको इस आह्वान पत्र द्वारा मेरे सामने तारीख-----  
----- बजे ----- (स्थान) पर स्वयं उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है एवं उपर्युक्त अभिलेखों को प्रस्तुत  
करने या करवाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

आप उक्त स्थान से उस समय तक नहीं जा सकेंगे जब तक मैं आज्ञा न दूं\*।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर से आज तारीख -----20----- को जारी किया गया।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम मुहर सहित

\* ये शब्द उस दशा में निकाल दिये जायेंगे जब कि आह्वान पत्र केवल लेख पत्रों के प्रस्तुत करने के लिए हो।